

9/12/22

पञ्जाबी भाषा सार्वभौमिक लोक  
अदालत से पेश हुई। न्यायालय  
न्यायाधीशों से डाकू पाठना स्थिति  
दिनांक 20/12/22 का कवलेक  
शिया गया। मुलाखिठ स्थिति  
न्यायालय न्यायाधीशों द्वारा  
से पञ्जाबी भाषा के मध्य सधमति  
की विमाज एव सधमति  
की विमाज अनुसूची नाम  
नं. 917 दिनांक 8/8/2022  
से खोले पुस्तक - पुस्तक 501 है  
पुस्तक है। विमाज पञ्जाबी  
मध्य आवश्यक नहीं है

